न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 :– 18/2022

दायर दिनांक :– 02.03.2022

अनवान

महावीर पिता गोकल गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर

प्रार्थी........

बनाम

तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

अप्रार्थी...........

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री अमित बिडला, एडवोकेट प्रार्थी,

:: आदेश :: दिनांक 11.05.2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया कि ग्राम राममोहनपुरा प. ह. गांगीथला में स्थित कृषि भूमि संवत 2073–2076 में स्थित खाता संख्या 201 की आ.न. 840/644 कुल किता 01 रकबा 0.8741 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज हो प्रार्थी अपने हक हिस्से पर काबिज हो उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त कृषि भूमि पूर्व में ग्राम गांगीथला में होकर भूमि के सेंटलमेंट से पूर्व के नम्बर 387/1, 388/1 मी., 389/2 रकबा 9.13 बीघा होकर गोधा, जोधा, उगमा पिता गलकू नि. मोहनपुरा के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित थी। सेटलमेन्ट के बाद में उक्त भूमिया इन्ही खातेदारान के नाम पर ही दर्ज की गई तथा उक्त भूमियों का खसरा सं. 644 हो गया एवं सेटलमेन्ट के बाद में जरीब में अन्तर होने अर्थात जरीब छोटी हो जाने के कारण रकबा बढकर 12.15 बीघा हो गया सेटलमेन्ट से पूर्व उक्त भूमियों का वर्गीकरण एवं नाम जिन्स जिराका अंकन सेटलमेन्ट की जमाबन्दी सम्वत 2016 में कम सं. 10 व 11 में अंकित है के अनुसार उक्त भूमि भू. बी. होकर उक्त भूमि बीड (बंजड प्रथम) किस्म की होकर पड़त थी दौराने सेंटलमेन्ट तत्कालीन सेंटलमेन्ट अधिकारियों के द्वारा लिपिकीय त्रुटी करते हुए उक्त भूमि जो कि पड़त होकर बीड (बंजड प्रथम) किस्म की थी तथा मौके पर किसी प्रकार का रास्ता एवं नाडा ना तो उस समय और ना ही आज ही

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

मौजूद होने के बाद भी उक्त खसरा नम्बर में से भूमि के वर्गीकरण में 13 बिस्वा भूमि को रास्ता एवं 11 बिस्वा भूमि को नाडा दर्ज कर दिया जो कि दुरूस्त किये जाने योग्य हैं सेटलमेन्ट की जमाबन्दी सम्वत 2016 की प्रमाणित प्रति साथ में पेश है। सेटलमेन्ट से पूर्व उक्त भूमि जो कि गोधा, जोधा, उगमा पिता गलकू नि. मोहनपुरा के नाम पर थी में से प्रार्थी ने वर्तमान में उनके नाम पर दर्ज 0.8741 हैक्टेयर को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के कय कर लिये प्रार्थी के द्वारा भूमि को कय करने के बाद में भूमि का हिस्सेनुसार बंटवारा करवाया गया प्रार्थी के हिस्से में सेटलमेन्ट के दौरान हुई लिपिकीय त्रुटी के कारण वर्तमान जमाबन्दी में उनके हिस्से में रही 0.8741 हैक्टेयर में से भूमि के वर्गीकरण में 0.0892 हैक्टेयर भूमि को गे. मु. रास्ता तथा 0.0891 हैक्टेयर भूमि को गे. मु. रेछा दर्ज कर रखा है उक्त रास्ता एंव रेछा ना तो मौके पर आज मौजुद है और ना ही पूर्व में मौजुद होने के बाद भी सेटलमेन्ट के दौरान हुई लिपीकीय त्रुटी के कारण राजस्व रेकार्ड में अंकन हो जाने के कारण बदस्तुर चला आ रहा हैं। सेटलमेन्ट के दौरान यह त्रुटि लिपिकीय होने के कारण उसे दुरूस्त करते हुये पूर्व में अंकन अनुसार बीड (बंजड प्रथम) किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित हैं और इसलिये प्रार्थी की और से यह प्रार्थना पत्र न्यायालय आप के समक्ष पेश है। प्रार्थी के द्वारा पैरा सं. 1 में वर्णित 0.8741 हैक्टेयर भूमि को बाद कय से ही बराबर काश्त करता करता चला आ रहा है। क्यो कि उक्त भूमि में ना तो किसी प्रकार का कोई रास्ता ही हैं और ना ही किसी प्रकार का कोई रेछा ही उक्त भूमि में हैं भूमि के वर्गीकरण में उक्त अंकन महज दौरान सेटलमेंट हुई लिपिकीय त्रुटी के कारण ही बदस्तुर चला आ रहा है, जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित हैं प्रार्थी अनपढ होकर ग्रामीण परिवेश का काश्तकार हैं जिसे की राजकीय कार्य के दौरान मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता अथवा रेछा नही होने के बाद भी जमाबन्दी मे उक्त रास्ता एवं रेछा के बारे में बताने पर प्रार्थी ने संबधित राजस्व रेकार्ड में नकले ली जो कि प्रार्थी को दिनांक 12.01.2022 को प्राप्त हुई उक्त नकले लेने के बाद में प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को उक्त लिपिकीय त्रुटी को सही करने के लिये निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी के द्वारा न्यायालय आप से आदेश लाने के लिये कहकर कोई कार्यवाही नही किये जाने के कारण यह प्रार्थी को आवेदन पत्र न्यायालय आप के समक्ष पेश करने की आवश्यकता पैदा हुई है। प्रार्थी से सेटलमेन्ट के दौरान हुई उक्त लिपिकीय त्रुटि की जानकारी दिनांक 12.01.2022 को प्रथम बार हुई जिस पर प्रार्थी के द्वारा बिना किसी देरी के संबधित रेकार्ड की नकले प्राप्त की इस प्रकार प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करने का वाद कारण दिनांक 12.01.2022 से पैदा होकर निरन्तर जारी हैं इसलिये प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 1 में वर्णित आराजी खसरा नं. 840/644 रकबा 0.8741 के राजस्व रेकार्ड में भूमि के वर्गीकरण में अंकित 0.0891 गेमु. रेछा, 0.0892 गेमु. रास्ता जो कि दौराने सेटलमेन्ट सेटलमेन्ट अधिकारियों के द्वारा लिपीकीय त्रुटी से अंकन हो गया है के बजाय पूर्व में अंकन अनुसार बीड (बंजड प्रथम) किये जाने के आदेश प्रदान फरमावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार जहाजपुर द्वारा दिनाक 26.04.2022 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो पत्रावली में संलग्न है। रिपोर्ट में बताया कि ग्राम राममोहनपुरा प. ह. गांगीथला के खसरा नं. 840/644 रकबा 0.8741 हैक्टेयर किस्म गेमु चट्टान 0.2590, गेमु रेछा 0.0891, गेमु रास्ता 0.0892, बंजड II 0.4368 खातेदार महावीर पिता गोकल गुर्जर सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है। ग्राम राममोहनपुरा की विवादित आराजी सं. 840/644 रकबा 0.8741 हैक्टेयर की मौका स्थिति की रिपोर्ट के अनुसार उक्त आराजी सं. 840/644 मौके पर खाली होकर पडत है एवं किसी प्रकार का रास्ता नहीं है एवं काश्तकार के द्वारा सम्पूर्ण रकवा में से गेमु चट्टान के रकबे को छोडकर हकवा रखा है। खातेदार ने बताया कि उक्त आराजी 840/644 के सम्पूर्ण रकबे में से गेमु चट्टान के रकबे को छोडकर में फसल काश्त की जाती है। मौके पर

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

गैर मुमकिन भूमि होने की स्थिति स्पष्ट नहीं है। आ. सं. 840/644 मौके पर खाली होकर पड़त है एवं मौके पर किसी प्रकार का रास्ता नहीं है। खसरा सं. 840/644 में से 0.0892 हैक्टेयर भूमि की किस्म को गैर रास्ते से परिवर्तित कर भू प्रबन्ध से पूर्ववत स्थिति में किया जाना उचित बताया है। तथा मौका स्थिति की रिपोर्ट अनुसार गैर रेख की ... में स्थिति स्पष्ट नहीं होने से वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित किस्म गैर रेख को परिवर्तित किया जाना उचित नहीं बताया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 की प्रति, भू प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी सम्वत 2016 की प्रति, जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 की प्रति, नामान्तरण सं. 1043 दिनांक 10.11.2021 ग्राम राममोहनपुरा की प्रति पेश की, जो शामिल फाईल है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी ग्राम राममोहनपुरा प. ह. मानोधाम की आराजी सं. 840/644 का रिकोर्डेड खातेदार है। एवं आराजी सं. 840/644 रकबा 0.8741 हैक्टेयर में गैर चट्टान 0.2590 है, गैर रास्ता 0.0892 है, बंजड़ II 0.4368 है, किस्म दर्ज है। खसरा सं. 644 रकबा 12-15 बीघा के गत खसरा सं. 387/1, 388/1मी., 389/2 रकबा 9-19 बीघा किस्म बीड़ थे। परन्तु भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन खसरा सं. 644 में 9-19 बीघा रकबे को पड़त II, 1-12 बीघा रकबे को चट्टान, 0-11 बीघा रकबे को नाला, 0-13 बीघा रकबे को रास्ता दर्ज किया गया। जमाबन्दी सम्वत 2069-72 के खाता सं. 180 के अनुसार खसरा सं. 644 के विभाजन से खसरा सं. 644/1 बना, एवं नामान्तरण सं. 1043 दिनांक 10.11.2021 के अनुसार खसरा सं. 644/1 के विभाजन से खसरा सं. 840/644 बना, जिसमें सेटलमेंट विभाग द्वारा खसरा सं. 644 दर्ज रास्ता ख. सं. 840/644 में बदस्तूर दर्ज रहा। सेटलमेंट विभाग द्वारा बादस्तूर गत आराजी सं. 644 (हाल आराजी 840/644) में पूर्व में कोई रास्ता या नाला दर्ज नहीं होने के बावजूद 0-11 बीघा रकबे को नाला, 0-13 बीघा रकबे को रास्ता दर्ज कर दिया। जबकि मौके पर न तो कोई रास्ता या नाला/रेख भू प्रबन्ध के समय मौजूद था, न ही वर्तमान में मौजूद है। इसलिये आराजी खसरा नं. 840/644 रकबा 0.8741 के राजस्व रेकार्ड में भूमि के वर्गीकरण में अंकित 0.0891 गैर रेख, 0.0892 गैर रास्ता जो कि दौराने सेटलमेंट सेटलमेंट अधिकारियों के द्वारा लिपिकीय त्रुटी से अंकन हो गया है के बजाय पूर्व के अंकन अनुसार बीड़ (बजाय प्रथम) किये जाने हेतु निवेदन किया।

मैंने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी दिनांक 21.02.2022 से स्पष्ट है कि प्रार्थी ग्राम राममोहनपुरा प. ह. मानोधाम तह. जहाजपुर की आराजी सं. 840/644 का रिकोर्डेड खातेदार है। एवं आराजी सं. 840/644 रकबा 0.8741 हैक्टेयर में किस्म गैर चट्टान 0.2590 है, गैर रेख 0.0891 है, गैर रास्ता 0.0892 है, बंजड़ II 0.4368 है, रकबा दर्ज है। भू प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी सम्वत 2016 के अनुसार खसरा सं. 644 रकबा 12-15 बीघा के गत खसरा सं. 387/1, 388/1मी., 389/2 रकबा 9-19 बीघा किस्म बीड़ थे। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन खसरा सं. 644 में 9-19 बीघा रकबे को पड़त II, 1-12 बीघा रकबे को चट्टान, 0-11 बीघा रकबे को नाला, 0-13 बीघा रकबे को रास्ता दर्ज किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2069-72 के खाता सं. 180 में अंकित नोट के अनुसार नामान्तरण सं. 1030 दिनांक 03.11.2020 से खसरा सं. 644 के विभाजन से खसरा सं. 644/1 बना, एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नामा. सं. 1043 दिनांक 10.11.2021 के अनुसार खसरा सं. 644/1 के

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

nned with CamScanner

विभाजन से खसरा सं. 840/644 बना, जिसमें सेटलमेंट विभाग द्वारा खसरा सं. 644 दर्ज रास्ता ख. सं. 840/644 में बदस्तूर दर्ज रहा। उपरोक्तानुसार यह स्पष्ट है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा आराजी सं 644 में पूर्व में कोई रास्ता दर्ज नही होने के बावजूद 0.0892 हैक्टेयर भूमि में रास्ता दर्ज कर दिया। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार मौके पर किसी प्रकार कोई रास्ता नही है। एवं आ. सं. 840/644 में से 0.0892 हैक्टेयर की किस्म को गे. मु. रास्ते से परिवर्तित कर भू प्रवन्ध से पूर्ववत स्थिति में किया जाना उचित बताया है। अतः मेरी विनम्र राय में खसरा सं. 644 में 0.0892 हैक्टेयर भूमि को सेंटलमेंट विभाग ने त्रुटिवश रास्ता दर्ज किया है, जिसकी वजह से वर्तमान में खसरा सं. 840/644 में रास्ता दर्ज चला आ रहा हैं। अतः न्यायालय खसरा सं. 840/644 के रकबा 0.0892 हैक्टेयर की किस्म को भू प्रबन्ध से पूर्ववत स्थिति बीड के रूप में शुद्ध किया जाना उचित समझता है। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार आ. सं. 840/644 में से 0.0892 हैक्टेयर भूमि की किस्म गेमु रेछा के संबध में मौके पर स्थिति स्पष्ट नही होने से उक्त किस्म गेमु रेछा को परिवर्तित किया जाना उचित नही बताया है। अतः मेरी विनम्र राय में आ. सं. 840/644 में से 0.0892 हैक्टेयर भूमि की किस्म को गेमु रेछा को परिवर्तित किया जाना उचित नही है। उपरोक्तानुसार न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम राममोहनपुरा प. ह. गांगीथला में स्थित जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में खाता संख्या 201 की आ.नं. 840/644 कुल किता 01 रकबा 0.8741 हैक्टेयर में से 0.0892 हैक्टैयर को गेमु रास्ते के बजाय बीड दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्रमांक / रीडर / 2022 / 18 / 2022

दिनांक 11.05.2022

निमित,

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :— मु.न. 18 / 2022 अनवान महावीर पिता गोकल गुर्जर नि. राममोहनपुरा तह. जहाजपुर बनाम तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा में अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए. के निर्णय की पालना के संवध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में ग्राम राममोहनपुरा प. ह. गांगीथला में स्थित जमाबन्दी सम्वत 2073—2076 में खाता संख्या 201 की आ.नं. 840 / 644 कुल किता 01 रकबा 0.8741 हैक्टेयर में से 0.0892 हैक्टैयर को गेमु रास्ते के बजाय बीड दर्ज किये जाने का आदेश हुये है। तदानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner